क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

उप क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,क.रा.बी.नि.चिकित्सालय परिसर, सरोजनी नगर, लखनऊ, उ. प्र.- 226023
Sub Regional Office, 2nd Floor, E.S.I.C. Hospital Campus, Sarojini Nagar, Lucknow, U.P.- 226023
Email : sro.lucknow@esic.nic.in **Website: www.esic.nic.in**

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: अयोध्या, उत्तर प्रदेश में अवकाश गृह की सुविधा
Sub: Accommodation of Holiday Home at Ayodhya, Uttar Pradesh

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि **कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अवकाश गृह, अयोध्या (उत्तर प्रदेश)** दिनांक **01.02.2026 से 31.01.2027** तक **एक (01) वर्ष** की अवधि के लिए संचालित रहेगा। अवकाश गृह का विवरण एवं लागू नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:

It is brought to the notice of all concerned that the ESIC Holiday Home at Ayodhya, Uttar Pradesh will be operational for a period of one (01) year from 01.02.2026 to 31.01.2027. The details of the Holiday Home and the applicable terms and conditions are given below:

होटल का नाम एवं पता: **Name & address of the Hotel**	आवास का विवरण: **Accommodation details**	अनुमत व्यक्ति: **Persons allowed**	संपर्क विवरण **Contact details**
होटल साकेत उत्तर प्रदेश) राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी -, अयोध्या, उत्तर प्रदेश **Hotel Saket (of Uttar Pradesh State Tourism Development Corporation) Ayodhya, Uttar Pradesh**	02 डबल बेडेड कमरे कक्ष संख्या)101 एवं 102) 02 Double Bedded rooms, i.e., Room no. 101 & 102	2 वयस्क + 2 बच्चे (आवेदक के आश्रित बच्चों को एक ही कमरे में ठहरने की अनुमति होगी, बशर्ते उनकी आयु 12 वर्ष से कम हो।) 2 Adult + 2 Children (Dependent children of the applicant are allowed in one room, provided their age is below 12 years)	संयुक्त निदेशक (प्रभारी), ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ दवितीय तल, ईएसआईसी अस्पताल परिसर, सरोजिनी नगर, लखनऊ दूरभाष: 0522-2321950 ई-मेल: sro.lucknow@esic.gov.in Contact Details: Joint Director (I/c) Sub Regional Office, Lucknow, ESI Corporation, 2nd floor, ESIC Hospital Complex, Sarojini Nagar, Lucknow Call: 0522 2321950 Email : sro.lucknow@esic.gov.in

1. अवकाश गृह का आवंटन मुख्यालय कार्यालय परिपत्र संख्या D-11/27/TOR/Policy/09/CT दिनांक 22.12.2009 (यथा संशोधित) में उल्लिखित नियमों, विनियमों एवं दरों के अनुसार किया जाएगा। **निर्धारित कक्ष शुल्क/उपयोग शुल्क सीधे होटल में जमा किया जाएगा।**

   The allotment of the Holiday Home shall be governed strictly in accordance with the Rules, Regulations, and Rates laid down in Headquarters Office Circular No. D-11/27/TOR/Policy/09/CT dated 22.12.2009, as amended from time to time. **The**

allottee shall deposit the prescribed room tariff/user charges directly at the hotel.

2. कक्षों की बुकिंग **<u>"पहले आओ, पहले पाओ"</u>** के आधार पर की जाएगी। चेक-इन तिथि से 60 दिनों से अधिक पूर्व प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

   Booking of rooms shall be made strictly on a "**<u>First Come, First Serve basis"</u>**. Booking requests received more than 60 days prior to the proposed date of check-in shall not be entertained.

3. अवकाश गृह का आवंटन केवल ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा वैध आवंटन पत्र एवं ईएसआईसी/भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवास प्रदान किया जाएगा।

   Allotment of the Holiday Home shall be made only by ESIC Sub Regional Office, Lucknow, and accommodation shall be allowed only on production of a valid Allotment Letter and a photo identity card issued by ESIC/Government of India.

4. चेक-इन एवं चेक-आउट समय दोपहर 12:00 बजे होगा। अधिकतम 05 (पाँच) दिनों तक आवास की अनुमति होगी।

   The check-in time shall be 12:00 noon and the check-out time shall also be 12:00 noon. Accommodation shall be provided for a period not exceeding five (05) days at a time.

5. बुकिंग रद्द करने की सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व देना अनिवार्य है, अन्यथा प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित नियंत्रणकारी कार्यालय के माध्यम से संबंधित अधिकारी से शुल्क की वसूली की जाएगी।

   Cancellation of booking must be intimated at least 30 days in advance, failing which recovery of charges shall be effected from the concerned official through the Controlling Office, as per extant rules.

6. सभी आवेदन आवेदक के नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किए जाएँगे। सेवानिवृत्त ईएसआईसी कार्मिकों को छोड़कर किसी के भी सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

   All applications shall be routed through the Controlling Officer of the applicant. Direct applications shall not be entertained except in the case of retired ESIC personnel.

7. आवास केवल उन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिनके नाम पर बुकिंग स्वीकृत की गई है। अतिरिक्त व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।

   Accommodation shall be provided strictly to the person(s) in whose name(s) booking is approved. No extra person(s) shall be accommodated.

8. होटल की अन्य सुविधाओं पर कोई रियायत देय नहीं होगी तथा उसका भुगतान संबंधित अतिथि द्वारा किया जाएगा।

   No concession or discount shall be admissible on availing other facilities of the hotel. Payment for the same shall be made directly by the guest.

9. मादक पेय पदार्थों एवं मांसाहारी भोजन का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।

Consumption of alcoholic beverages and non-vegetarian food items is strictly prohibited.

10. होटल द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएँगी:

(i) कक्ष सेवा

(ii) आवश्यकता अनुसार आर.ओ. पेयजल

(iii) प्रति कक्ष एक (01) हल्के मोटर वाहन हेतु निःशुल्क पार्किंग

The hotel shall provide the following facilities free of cost:
(i) Room service
(ii) RO drinking water as per requirement
(iii) Free parking for one (01) Light Motor Vehicle per room

Digitally signed by
Abhinav Kumar
Date: 30-01-2026
18:08:33

(अभिनव कुमार)
उप निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. निदेशक (सामान्य शाखा), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली ।
2. उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अधीनस्थ समस्त शाखा /शाखा कार्यालय ।
3. क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर / उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा / उप क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी ।
4. Website Content Manager, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु अनुरोध सहित।